## Sixteenth Loksabha

pan>

Title: Introduction of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 56, etc.).

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015."

The motion was adopted.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।